मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : mdrmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/2831 दिनांक : 21/02/2024

आदेश

M/s Mercury Laboratories Ltd, Unit No. 2, Halol-Baroda Road, Village-Jarod, Ta. Waghodia, Dist-Vadodara-391510, Gujarat से निविदा क्रमांक f.02(321)/RMSCL/PROCURMENT/DRUG/NIB-11/2021 /704 दिनांक 08.05.2021 के तहत् औषधि Paracetamol Tab IP 500 mg[28] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 714 दिनांक 16.05.2021 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को Testing हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जाँच किये जाने पर औषधि के बैच (21106701) को Dissolution test में फेल होने के कारण अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

बैच संख्या (21106701) की चैलेंज पश्चात् जाँच रिपोर्ट Central Drug Laboratory, Kolkata से प्राप्त हुई, जिसमें भी उक्त बैच (21106701) को अमानक कोटि के पाए जाने की पुष्टि हुई।

Central Drug Laboratory, Kolkata से उक्त बैच (21106701) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 25.01.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Mercury Laboratories Ltd, Unit No. 2, Halol-Baroda Road, Village-Jarod, Ta. Waghodia, Dist- Vadodara-391510, Gujarat की औषधि Paracetamol Tab IP 500 mg[28] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

नेहा गिरि
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

RajKaj Ref
5588549

Digitally signed by Neha Giri
Designation : Managing Director
Date: 2024.02.21 1?:37:33 IST
Reason: Approved

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/2831 दिनांक : 21/02/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/एफ डी ए, गुजरात।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Mercury Laboratories Ltd, Unit No. 2, Halol-Baroda Road, Village-Jarod, Ta. Waghodia, Dist- Vadodara-391510, Gujarat
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref
5588549

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.21 17:37:33 IST
Reason: Approved